UTTARAKHAND

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
रूद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड शासन

Website-http://pwd.uk.gov.in Fax: 01364-233204, E-mail ID: eepwd_rpg@rediffmail.com

पत्र संख्या 505 / 16 सी. दिनांक 25/2 / 2019

सेवामें,

उप वन संरक्षक
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग।

विषय– **वनभूमि पत्रावली संख्या FP/UK/ROAD/16003 /2015 जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत छेनागाड बक्सीर मोटर मार्ग पर मथ्यागांव से उछोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.400 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।**

सन्दर्भ– **उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 909/X-4-16/01(287)2016 दिनांक 16.09.2016**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित है–

प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल से प्रभावित होने वाले वृक्षों के वृक्षारोपण एवं इसके 10 वर्षों के रख–रखाव, मार्ग के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों के रख–रखाव व एनपीवी हेतु **कुल वांछित धनराशि रू0 27,98,916.00** मात्र RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttaranchal S.B. A/c 150896116003261 IFSC code CORP0000371, Corporation Bank में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न– संलग्नक–1)।

1. प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.80 है0 ग्राम उछोला सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं इसके 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु वांछित धनराशि **रू0 7,80,262.00** मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1) व भूमि हस्तान्तरण /नामान्तरण से सम्बन्धित अमल दरामद की प्रति संलग्न है (संलग्नक–2)।
2. प्रयोक्त अभिकरण लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड रूद्रप्रयाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार यथोचित वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु वांधित **रू0 8,35,654.00** मात्र की उक्त खाते में इस कार्यालय द्वारा ऑन लाइन द्वारा जमा किया जा चुका है, (चालान की प्रति संलग्न (संलग्नक–1 के अनुसार)।
3. प्रयोक्ता अभिकरण प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा शर्त संख्या 3 के अनुपालन में एनपीवी की देय धनराशि **रू0 11,83,000.00** मात्र की धनराशि ऑन लाइन उक्त खाते में जमा की जा चुकी है, (संलग्नक–1 के अनुसार)।
4. शर्त संख्या 4 के अनुपालन में एनपीवी मूल्य की दर में यदि बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण प्रन्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग जमा करने के लिए बचनबद्ध है, संलग्नक–3।
5. शर्त संख्या 1, 2 व 3 के अनुसार।
6. प्रस्तावित निर्माण कार्य के लि जनपद कार्याबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किये जाने सम्बन्धित प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन अपलोड किये जा चुके हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है, संलग्नक–4
7. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवष्यक अभिलेख एवं प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लाइन कर दिये गये हैं, सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है, संलग्नक–5.
8. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में निहित समस्त निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
9. उपरोक्तानुसार सभी शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रूद्रप्रयाग द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

अधिषासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

NEFT RTGS CHALLAN

① 423

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 21-12-2018

Agency Name.	PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6116003261
MoEF/SG File No.	1(287)/2016
Location.	UTTARANCHAL
Address:	PWD PROVINCIAL DIVISION RUDRAPRAYAG Rudraprayag
Amount(in Rs)	2798916/-

Amount in Words :Twenty-Seven Lakh Ninety-Eight Thousand Nine Hundred and Sixteen Rupees Only

SBIN918358107245

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896116003261 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

24 DEC 2018

मध्यागाँव से उखोला

nay send a line of confirmation through

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

1/1

	FP/UK/ROAD/16066/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16066/2015) Construction of Syal Dobha to Khali Khamoli Motor road from Maniguh motor road	ROAD160662015827	6116066827	24 Jan 2018	**CA:** 423500/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 252945/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 676445/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 02 Aug 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 22 Jan 2019 **Transaction Date** : 12 Feb 2019	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/711241229121297181DemandnoteNew.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD160662015827)
8	FP/UK/ROAD/16003/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/16003/2015) Construction of Mathyagaon to Uchola Motor Road under Distt Sector	ROAD160032015261	6116003261	22 Sep 2016	**CA:** 780262/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 1183000/- , **strip plantation :** 835654/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 2798916/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 11 Sep 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 21 Dec 2018 **Transaction Date** : 24 Dec 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/911712191213M3DXZDemandnotenew.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD160032015261)
9	FP/UK/ROAD/14707/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/14707/2015) Construction of Bhaushal Chanud to Tinsi Motor Road under District Sector	ROAD147072015822	6114707822	31 Jan 2018	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 126473/- , **140 tree plantaion :** 140000/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 266473/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 26 Feb 2018 **Bank Name** : Corporation Bank **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 23 Oct 2018 **Transaction Date** : 29 Oct 2018	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2112312391214HJXDJDemandnote.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD147072015822)

Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

1978 / 16 स0
06/08/19

:: आ दे श ::

अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग ने अपने पत्रांक–2098/16 सी. दिनांक 25–07–2019 के द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के विकास खण्ड अगस्त्यमुनी के अर्न्तगत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग पर मथ्यागांव से उछोला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित वन भूमि के बदले वानिकी कार्यो के लिए वन विभाग को दोगुने भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तान्तरित करने का अनुरोध किया गया है। आदेश संख्या–532/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो0नि0वि0/2012–13 दिनांक 11–9–2012 के द्वारा उक्त मोटर मार्ग निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त प्रकरण पर तहसीलदार बसुकेदार ने पत्रांक–146/वि0–2019–20 दिनांक 12 जून 2019 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र स्यूर के ग्राम उच्छोला की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–30 (श्रेणी 09–3ड.) के खसरा नं0– 588 रक्बा 1.176 हे0 मध्ये 0.614 हे0, खसरा नं0 590 रक्बा 0.964 है0 एवं खसरा नं0–778 रक्वा 1.222 हे0 कुल रक्वा 2.800 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित कर, तत्सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत कर वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित करने हेतु अपनी रिर्पोट प्रस्तुत की गयी है।

अतः शासनादेश संख्या–2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010राजस्व अनुभाग–02 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 के अनुसार तहसीलदार बसुकेदार द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र स्यूर के ग्राम उच्छोला की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या–30 (श्रेणी 09–3ड.) के खसरा नं0– 588 रक्वा 1.176 हे0 मध्ये 0.614 हे0, खसरा नं0 590 रक्वा 0.964 है0 एवं खसरा नं0–778 रक्वा 1.222 हे0 कुल रक्वा 2.800 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम ***हस्तान्तरित कर अमलदरामद*** करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(मंगेश घिल्डियाल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।

संख्या– 4752 /छब्बीस– 26 /2018–19 दिनांकः रुद्रप्रयागः जुलाई 31, 2019.

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फौरेस्ट कालौनी उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग–02 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3– अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–04 उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढवाल मण्डल पौडी।
6– उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रूद्रप्रयाग।
7– उप जिलाधिकारी/तहसीलदार बसुकेदार को उक्तानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी की नकल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
8– अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 रुद्रप्रयाग।

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

Sri Nautiyal

3/8/19

P/C Attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी० के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।

अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग	अधीक्षण अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नामः— जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0ख0, लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स की संस्तुतियों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टॉस्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 रूद्रप्रयाग

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0
रूद्रप्रयाग

A 2-25

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.

(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.

(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.

(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred.

A part from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-

(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.

(ii) (ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping is view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in roak. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.

(iii) (iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen much treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made

(v) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culvers, breast walls, retaining and the walls are provided for purposes of establishing the slips Growth vegetative cover is stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In certain selected unstable areas terraced afforestation has also been plasticized as a stabilizing measure with go d results.

(vi) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and other engaged in construction of hill roads these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की उपरोक्त संस्तुतियाँ सड़क विभाग को मान्य हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग	सहायक अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग	अधिशासी अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० रूद्रप्रयाग

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
रूद्रप्रयाग

संलग्नक - 5 - A 1.6

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Rudraprayag

No-76

Dated-15/06/15

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.400 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Provincial Division P.W.D. Rudraprayag** (name of user agency) for **Construction of Mathyagaon to Uchola Motor Road under District Sector** (purpose for diversion of forest land) in **Rudraprayag** district falls within jurisdiction of **Uchola** village (s) in Jakholi tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire… hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Raghav

(Dr. Raghav Langer)
जिला अधिकारी

Photo copy Attested

(Full name and official seal of the District Collector)

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT Rudraprayag (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of **Rudraprayag** district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of **Mr. Dr. Raghav Langer I.A.S** District Magistrate **Rudraprayag** on date 15.04.15 at time 2.00 PM at **Rudraprayag** in which application claiming rights in **Forest** area measuring **1.400 hect** for the **Construction of Mathyagaon to Uchola Motor Road under District Sector (2.00 Km)** of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of **S.D.M.** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Rudraprayag
Dated:.15.04.15

Raghav
(Dr. Raghav Langer),
District Magistrate-cum-
Chairman, District Level
Committe, Rudraprayag

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा० ख० लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, :– रूद्रप्रयाग

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के वहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, जखोली।

उपखण्ड जखोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** (1.40 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 हे0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 1.400 हे0** वन भूमि) का लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील जखोली)** की दिनांक 25-05-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ————————, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री [illegible] उपजिलाधिकारी ———————————— अध्यक्ष
2– श्री [illegible] उप प्रभागीय वनाधिकारी ———————————— सदस्य
3– श्री [illegible] सहायक समाज कल्याण अधिकारी ———— सदस्य / सचिव
4– श्री [illegible] बी0डी0सी0 क्षेत्र —— [illegible] ———— सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** परियोजना हेतु **1.400 हे0** वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत **जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव** परियोजना के निर्माण हेतु 1.400 हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–जखोली, जनपद रूद्रप्रयाग।

सदस्य
नागेन्द्र सिंह नेगी
क्षेत्र पंचायत सदस्य उछोला
विकास खण्ड- जखोली
जिला-रूद्रप्रयाग

सहायक समाज कल्याण अधिकारी
जखोली
जनपद रूद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी
जखोली

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप वन प्रभाग
रूद्रप्रयाग

67

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम :– छेनागाड–बक्सीर से मथ्यागांव से उछोला
तहसील जखोली, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मथ्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के निर्माण हेतु (1.400 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि, 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात **कुल 1.400 है0** वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत —उछोला— द्वारा दिनांक 18/5/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम —उछोला— के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम सचिव
विकास खण्ड –जखोली
जनपद – रूद्रप्रयाग

ह0 सरोज
दि0 18/5/15
ह0/–
ग्राम प्रधान
(ग्राम पंचायत उछोली)

नोट :–यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।
उक्त प्रपत्र, उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0

प्रपत्र–23.1

परियोजना का नाम :– जिला योजना के अन्तर्गत छेनागाड–बक्सीर मोटर मार्ग के मध्यागांव से उछोला तक मोटर मार्ग लम्बाई 2.00 किमी0 के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव)

दिनांक 18.5.2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ....उछोला........

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	भगवान सिंह	भगवानसिंह
2	गजेन्द्र सिंह	गजेन्द्र
3	विनोद लाल	विनोद
4	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र सिंह
5	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
6	नर सिंह	नर सिं
7	बलबीर सिंह	[illegible]
8	अरविन्द लाल	[illegible]
9	सुरवीर सिंह	सुरवीर सिंह
10	सज्जन सिंह	सज्जन
11	गोकुल सिंह	गोकुल
12	केवाल सिंह	[illegible]
13	[illegible] सिंह	[illegible]
14	कुन्दपाल सिंह	[illegible]
15	वीरेन्द्र सिंह	[illegible]
16	दयाल सिंह	दयाल
17	ईश्वर सिंह	[illegible]

Photo copy attested

संलग्न है।

सहायक अभियन्ता
प्रा0 ख0 लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत उछोला
ह0 सरोज
दि0 18.5.15